कतन्ना

-शब्दवेधी

- ☐ देश बर्बाद कर देंगे घूसखोर -सोनिया गांधी, अध्यक्ष कांग्रेस
- ☐ यू.पी. में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार -सोनिया गांधी
- ♦ इस भ्रष्टाचार व भ्रष्टराजनितिक व्यवस्था की जनक तो कांग्रेस ही है।
- ♦ क्यों दिल्ली, महाराष्ट्र में क्या है?
- ☐ कमीशनखोरी दलाली से दूर रहें भाजपाई -नितिन गडकरी, अध्यक्ष भाजपा
- ♦ तो राजनीति में क्या भजन गाने आये हैं।
- ☐ देश संविधान से चलेगा कि आस्था से -आजम खां, सपा से निस्कासित
- ♦ ये तो फलवा जारी करने वालों से पूछिये? एक स्वतंत्र देश में फतवे का क्या काम?
- ☐ मेरे बैनर तले चुनाव लड़ा गया तो जनता सौ फीसदी इमानदारी की गारंटी मेरी तरफ से ले सकती है -राम देव, स्वयंर योगगुरु
- ♦ अपनी आयुर्वेदिक दवाओं की गांरटी तो दे नहीं सकते, राजनीति में इमानदारी की गारंटी कैसे देंगे।
- ☐ हमें नहीं लगता कि उस घटना विशेष (आवास वित्त घपलों) को इतना बढ़ाकर देखने की जरुरत है। -मोंटेक सिंह उपाध्यक्ष, योजना आयोग
- ♦ यह घटना अगर इतनी छोटी है तो होने दो आप लोगों के इस रवैये से ही देश को दुनिया के भ्रष्टतम देशों का तमगा दिलाया है। भ्रष्टाचार को संरक्षण देने में अपका कोई जवाब नहीं। आप जैसे लोगों को तो चौराहे पर लटका कर फांसी दे दी जानी चाहिए।
- ☐ कुछ गोपनीय दस्तावेजों पर याचिकाकर्ता बहस कर रहे है उन्हें रोका जाना चाहिए। -सी.बी.आई.
- ♦ भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई दस्तावेज गोपनीय नहीं होता।
- ☐ सरकार गठन में कार्पोरेट लाबी हाबी -लालकृष्ट आडवाणी
- ♦ इसे आपसे अच्छा कौन जान सकता है आखिर आपने भी तो तीन-तीन बार सरकार गठित की हैं।
- ☐ बेंच-बार में तालमेल जरुरी -एफ.आई. रिबेलो, मुख्य न्यायाधीश
- ♦ इस तालमेल की जिम्मेदारी सिर्फ बार की नहीं है बेंच इसके प्रति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से निकाला जा सकता है कि अवध बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सैमिनार 'Bench-Bar Introspection and Reform' में लखनऊ में मौजूद होने के बावजूद आप एक प्राइवेट स्कूल के मालिक के कार्यक्रम में गये लेकिन बार के सेमिनार में नहीं आये।
- ☐ मंहगाई को लेकर चिंतित है। यह एक चुनौती बनी हुई है। यह मशक्कत भरी कवायद है और हम उसमें लगे हैं। -प्रणव मुखर्जी, वित्तमंत्री
- ♦ इस चिंता में तो आप लोगा जवान से बूढ़े हो गये जबकि मंहगाई जवान हो गयी आसार तो यह लग रहे हैं कि यह आप लोगों के जाने के बाद ही खत्म होगी।
- ☐ मैने कोई भी निर्णय अकेले नहीं लिया। -सुरेश कलमाड़ी, अध्यक्ष ओ.पी.
- ♦ मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। आप लोग मिल-बांट कर ही खाते हैं क्यों कि यदि ऐसा न होता तो सी.बी.आई. इतना समय न देती आपको घर, दफ्तर से सबकुछ हटाने के लिए। शायद इसलिए ही पार्टी ने भी आपको पार्टी से नहीं निकाला।
- ☐ घोटालों का पार्टी की आर्थिक स्थिति से कोई संबंध नहीं है..... पार्टी का कोष जन सहयोग से बढ़ता है न कि घोटालों से -मोती लाल बोरा, कोषाध्यक्ष कांग्रेस
- ♦ बोरा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। घोटालों का पैसा तो व्यक्तिगत खातों में जाता है आखिर स्विस बैंक में इतना पैसा जो जमा है वो किसी पार्टी का तो है नहीं।

आग्रह

यदि आप जागरुक अधिवक्ता हैं, अपने कार्यों से कुछ समय निकाल कर समाज सेवा करने की ललक रखते हैं तो न्यायतंत्र के इस अखबार से जुड़िए।

जिले, तहसील, कलेक्ट्रेट, दीवानी अदालतों, देश के उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय के लिए जुझारु रिर्पोटर्स की आवश्यकता है।

संपर्क करें-

अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट, संपादक, 'जजमेण्ट आजतक'
हिमांशु सदन, 5 पार्क रोड, लखनऊ, मो.: 9839010677
e-mail : judgementaajtak@yahoo.co.in

राहुल के विरुद्ध मुकदमा

अरूण कुमार वर्मा, एडवोकेट

वाराणसी (ज.अ.)। विकीलिक्स द्वारा राहुल गांधी की अमेरिकी की राजदूत टिमोथी जेरोमर के साथ हुई बातचीत के खुलासे के आधार पर प्रभात सिंह निवासी मडुवाढीह ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट (तृतीय) वाराणसी राम अवतार की अदालत में मुकदमा दायर किया है जिसे दर्ज रजिस्टर कर लिया गया है।

मुकदमें में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को राष्ट्रीय एकता प्रभावित करने वाले बयान व मानहानि के मुद्दे पर तलब करने की याचना की गयी है। ज्ञात हो कि विकीलिक्स ने इस बातचीत का खुलासा करते हुए कहा कि डिनर पार्टी में अमेरिकी राजदूत टिमेथी जेरोमर से राहुल गांधी ने कहा था कि इस देश को बाहरी आतंकवादियों से ज्यादा भगवा आतंकवाद से खतरा है। ❑

प्रतिक्रिया

जजमेंट आजतक के तीन अंको ने मुझे आपको यह पत्र लिखने के लिए विवश किया। इसमें दी गयी सामग्री सिर्फ पाठनीय ही नहीं बल्कि संग्रहणीय भी है।

प्रथम अंक में भोपाल गैस कांड, प्ली बार्गेनिंग दूसरे में जनहित याचिका तथा तीसरे अंक में 'पर उपदेश कुशल बहु तेरे' एवं कानून बदलो : देश बचाओ, पर दी गयी सामग्री आपकी सुस्पष्ट विचार धारा एवं निर्भीक लेखनी की प्रतीक है।

काउन्टर रिज़्चान्डर, कतन्ना और अदालतनामा बिना किसी का नाम लिए सबकुछ कह देते हैं। -विमलेश कुमार, एडवोकेट

अखबार हर नए अंक के साथ अपनी धार बढ़ा रहा है। इसके लेख, कालम रोचक व तथ्यपरक है। इसकी लोकप्रियता निर्विवाद है। इसमें ज्यादा न सही लेकिन थोड़ा राजनीति पर भी प्रकाश डालें तो अच्छा होगा।

तीसरा अंक बहुत ही समसामयिक है विशेष कर 'खरी-खरी' में लिखा एक-एक शब्द सच है। -महेन्द्र दिनकर

समाचार पत्र का लेआउट अच्छा है। परन्तु इसमें अभी जिलों के समाचार की कमी है। इसे कर दें तो और अच्छा होगा। -तनुश्री, विधि छात्रा

जिज्ञासा-समाधान

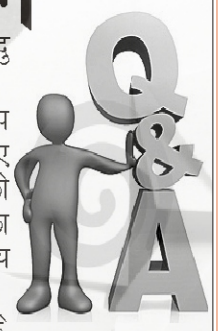

प्रश्नः हम अपेन कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध तय समयसीमा में अपील दाखिल नहीं कर सके। क्या अब अपील दायर की जा सकती है।

-अखिल कुमार

उत्तर : टैक्स असेसमेन्ट के विरुद्ध अपील दायर करने की समय सीमा ३० दिन है लेकिन आप देरी का उचित कारण बताते हुए अपील दायर कर सकते हैं। अपीलीय अधिकारी आपके कारण से संतुष्ट हो गये तो आयकर अधिनियम १९६१ की धारा २४६ (३) के तहत देरी को माफ कर सुनवायी कर सकते हैं।

प्रश्नः मैंने एक वसीयत कुछ दिन पहले लिखी थी अब उसे बदलना चाहता हूँ क्या ऐसा कर सकता हूँ?

-भगवान प्रसाद

उत्तर : बिल्कुल बदल सकते हैं बस इस बात का ध्यान रखिए कि नई वसीयत लिखते समय पहले की सभी वसीयतों को निरस्त करना/लिखना न भूलें। आप जितनी बार चाहें वसीयत बदल सकतें हैं इसमें कोई लिमीटेशन नहीं है।

हाँ इस बात का ध्यान जरुर रखें, कि वसीयत को रजिस्टर कराना न भूलें।

प्रश्नः मेरे मुकदमें में वाद बिन्दु निर्धारित हो चुका है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु जो केस को निग्रत करने के लिए आवश्यक है नहीं बने हैं। क्या वाद बिन्दु अभी बन सकते हैं?

उत्तर : जी हाँ आप अपने वकील से कहिए उन वाद बिन्दुओं को विरचित करने का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को दें।

सी.पी.सी के आर्डर XIV नियम ५ के प्रोवीजन के तहत डिक्री पास होने के पहले वाद विन्दु बदले या अतिरिक्त वाद विन्दु बनाये जा सकते हैं।

Order XIV Rule 5- (i) the court may at any time before passing a decree amend the issues or frame additional issues on such terms as it think, and all such amendments or additional issues on the matter in controversy between the parties shall be so made or frame.

प्रश्नः क्या पिता पुत्र को अपनी बिल से अलग कर सकता है? -प्रभु नरायण

उत्तर : बिल्कुल कर सकता है लेकिन इसके लिए उसे ऐसा करने के लिए कारण बताना होगा। माधवन केस में मा. उच्चतम न्यायालय के मा. न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा एवं एच.एस. बेदी की खण्डपीठ ने व्यवस्था देते हुए लिखा "Deprivation of due share to the natural heirs itself is not a factor which would lead to the conclusion that there exists suspicions circumstances."